बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /6366 /अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 15/10/2019

//कार्यपरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के 24वीं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.09.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1.	प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह , कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष
2.	डॉ. कोमल सिंह शार्वा, प्राचार्य भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	प्राचार्य – सदस्य
3.	श्री आई.पी.तिवारी, प्राचार्य श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	प्राचार्य – सदस्य
4.	डॉ. व्ही. विजयलक्ष्मी मूर्ति, प्राचार्य शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	प्राचार्य – सदस्य
5.	डॉ. रश्मि सिंह, प्राचार्य शासकीय महर्षि वाल्मीकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर	प्राचार्य – सदस्य
6.	डॉ. के. इंदिरा, प्राध्यापक शास. काकतीय पी.जी. महाविद्यालय जगदलपुर	संकायाध्यक्ष – सदस्य
7.	संभागीय संयुक्त संचालक, (कोष, लेखा एवं पेंशन) बस्तर जगदलपुर	सदस्य
8.	डॉ. व्ही.के.पाठक, कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सचिव

आमंत्रित सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाही प्रारंभ की गई।

15 OCT 2019

विषय क्रमांक –1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के पूर्व बैठक दिनांक 06.02.2019 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय –

कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से 23वीं कार्यपरिषद बैठक के कार्यवाही विवरण की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक –2

दिनांक 27.08.2019 को आयोजित होने वाले विद्यापरिषद के बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णय –

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –3

बस्तर विश्वविद्यालय के स्थापना से अब तक दान–दाताओं द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु गठित समिति द्वारा विनियम तैयार किया गया है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –4

विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक/5129/अका./ब.वि.वि./2019 जगदलपुर, दिनांक 25.06.2019 के अनुसार दिनांक 07.04.2018 को आयोजित विद्यापरिषद एवं दिनांक 12.04.2018 को आयोजित कार्यपरिषद की बैठक के निर्णयानुसार कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययन शाला के अन्तर्गत PGDCA एक वर्षीय पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2019–20 से बस्तर विश्वविद्यालय, अध्ययनशाला में प्रारंभ किया गया है। जिसमें सीट संख्या –60 एवं पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पी.जी.डी.सी.ए. डिप्लोमा इन साइकोलॉजीकल गाइडेंश एण्ड काउसिंलिग एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु लिए जाने वाले शुल्क 7200/-- दो किश्तों में एवं अन्य शुल्क नियमानुसार देय होगा तत्संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –5

शैक्षणिक सत्र 2018–19 में बस्तर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का अस्थायी संबद्धता प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सूचना ग्रहण की गई।

15 OCT 2019

विषय क्रमांक –6

शैक्षणिक सत्र 2018–19 में निम्नलिखित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता जारी किया गया है :–

वर्ष 2018–19 में संचालित नवीन स्नातक पाठ्यक्रम

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा	विषय/पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1.	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	बी.सी.ए.	सभी अनिवार्य विषय	50
2	शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव	बी.सी.ए.	सभी अनिवार्य विषय	25
		बी.ए.	भूगोल	60
3	शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जगदलपुर	बी.एससी	(बायो समूह) रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र	60
		बी.एससी	(गणित समूह) गणित, भौतिकशास्त्र	60
4	शासकीय शहीद बापूराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुकमा	बी.ए.	भूगोल	40
5	भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	बी.ए.	मानवविज्ञान	30
		बी.सी.ए.	सभी अनिवार्य विषय	50
		बी.एससी	(बायो समूह) सूक्ष्मजीवविज्ञान	40
6	शासकीय नवीन महाविद्यालय, तोकापाल	बी.एससी	(गणित समूह) गणित, भौतिकशास्त्र,	60
		बी.ए.	राजनीति विज्ञान	40
7	शासकीय महाविद्यालय, सरोना	बी.ए.	भूगोल	60
8	शासकीय महाविद्यालय, भोपालपट्नम	बी.कॉम.	वाणिज्य	30
	वर्ष 2018–19 में संचालित नवीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम			
1	भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	एम.एससी.	रसायनशास्त्र	30
		एम.एससी.	भू–गर्भशास्त्र	25
2	शासकीय शहीद बापूराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुकमा	एम.ए.	हिन्दी, अंग्रेजी एवं अर्थशास्त्र सत्र 2017–18 से संचालित	क्रमशः 25,25,25
	वर्ष 2018–19 में संचालित नवीन महाविद्यालय			
1	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नरहरपुर	B.A. I	हिन्दी, अंग्रेजी, वैकल्पिक विषय – इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल	90
		B.Com. I	समस्त अनिवार्य विषय	90
		B.Sc. I	(बायो समूह) रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र	90

अतः उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप –

शैक्षणिक सत्र 2017–18 एवं 2018–19 में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेशानुसार तथा विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संबद्धता आदेश जारी किया गया है।

1 5 OCT 2019

निर्णय –

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –7

बस्तर विश्वविद्यालय के वित्त शाखा द्वारा राशि रू. 1.00 लाख से अधिक विभिन्न मदों में किये गये भुगतान/अग्रिम एवं राशि हस्तांतरण पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति सह सूचना के संबंध में वित्त विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है। (पत्र संलग्न)

निर्णय –

सह सूचना एवं कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक –8

बी.एड. विषय की शैक्षणिक सत्र 2010–11 एवं 2011–12 की पूर्व में मुद्रित कराकर रखी हुई उपाधियॉ त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त कर छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन करने पर नवीन फारमेट में उपाधि मुद्रित करके निःशुल्क प्रदाय करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

बी.एड विषय की उपाधियॉ तीन वर्षों शैक्षणिक सत्र 2009–10,2010–11 एवं 2011–12 की उपाधियॉ मुद्रित कराकर विश्वविद्यालय उपाधि प्रकोष्ठ में रखी हुई है। जिसमें से शैक्षणिक सत्र 2010–11 एवं 2011–12 कर मुद्रित उपाधियॉ त्रुटिपूर्ण है। उपाधियों में उत्तीर्ण होने के श्रेणी Theory में तथा Practical में पृथक – पृथक उल्लेखित नहीं है, जबकि अंकसूची एवं टी.आर.रजिस्टर में पृथक–पृथक वर्णित है। जिस कारण छात्र/छात्राओं की ओर से श्रेणी के संबंध में आपत्तियॉ प्राप्त हो रही है। अतः उपर्युक्तानुसार त्रुटि होने से शैक्षणिक सत्र 2010–11 एवं 2011–12 की मुद्रित उपाधियॉ वितरण योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाना उचित होगा। छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन करने पर नवीन फारमेट में उपाधि मुद्रित करके निःशुल्क दिया जा सकता है।

निर्णय –

सर्वसम्मति से मान्य किया गया तथा बी.एड. विषय की शैक्षणिक सत्र 2010–11 एवं 2011–12 की पूर्व में मुद्रित कराकर रखी हुई त्रुटिपूर्ण उपाधियाों को तीन शिक्षकों की समिति गठित कर समिति के माध्यम से नष्ट कराने का निर्णय लिया गया है।

15 OCT 2019

विषय क्रमांक –9

विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/525/भण्डार/ब.वि.वि./2017–18 जगदलपुर, दिनांक 23.03.2018 के द्वारा छ.ग.संवाद, रायपुर को 06 लाख मुख्य कोरी उत्तरपुस्तिका एवं 04 लाख पूरक कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

उक्त पत्र के परिपालन में छ.ग.संवाद के द्वारा 06 लाख मुख्य कोरी उत्तरपुस्तिका एवं 04 लाख पूरक कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कर विश्वविद्यालय को प्रदाय किया गया है। जिसका भुगतान करने हेतु देयक निम्नानुसार प्राप्त हुआ है :–

1. देयक क्रमांक 597 दिनांक 30.08.2018 की राशि जी.एस.टी. सहित रू. 14,28,851/– में त्रुटि होने के कारण देयक छ.ग.संवाद को त्रुटि सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त देयक में हुए त्रुटि सुधार कर भुगतान हेतु पुनः प्रस्तुत किया गया है। अतः देयक राशि रू. 14,28,851/– भुगतान किया जाना है।
2. देयक क्रमांक 1240 दिनांक 23.01.2019 की राशि रू. जी.एस.टी. सहित रू. 14,28,851/– का भुगतान किया जा चुका है।
3. देयक क्रमांक 1241 दिनांक 23.01.2019 की राशि जी.एस.टी. सहित कुल रू. 12,82,020/– का भुगतान किया जा चुका है।

उक्त बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 के देयकों के कुल राशि रू. 27,10,871/– भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति तथा बिन्दु क्रमांक 01 के देयक राशि रू. 14,28,851/– भुगतान करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

बिन्दु क्रमांक 2 एवं 03 का कार्योत्तर स्वीकृति तथा बिन्दु क्रमांक 01 के देयक राशि रू. 14,28,851 की भुगतान करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई।

विषय क्रमांक –10

बस्तर विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों (सिलेबस) का मुद्रण शासकीय मुद्रणालय, रायपुर द्वारा निर्धारित दर पर कराये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –11

एम.आई.सी.एस. भोपाल के द्वारा सत्र 2017–18 में किये गये कार्य Pre & Post Examination work (परीक्षा कार्य एवं परीक्षा परिणाम कार्य) का GST राशि रू. 2,69,289/– एवं सत्र 2018–19 में किये गये समस्त कार्यों का GST सहित देयक प्राप्त होने पर सम्पूर्ण भुगतान योग्य राशि प्रदाय करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

1 5 OCT 2019

विषय क्रमांक –12

एम.सी.ए. अध्ययनशाला में संविदा में कार्यरत श्री प्रमोद सिंह एवं श्री राघवेन्द्र पटेल, सहायक प्राध्यापक (संविदा) का एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किये जाने संबंधी प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/5745/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2018 जगदलपुर, दिनांक 25.01.2018 के अनुसार सत्र 2018–19 में नियुक्ति दी गई थी। एक वर्ष पूर्ण करने के बाद विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3126/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2019 जगदलपुर, दिनांक 23.01.2019 के अनुसार पूर्व में दिये गये नियम शर्तों के अधीन एम.सी.ए. विभाग में एक वर्ष के लिए पुनः संविदा नियुक्ति दी गई है।

निर्णय –

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –13

विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं में विभिन्न संकाय के अन्तर्गत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने संबंधी प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 4240/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2019 जगदलपुर, दिनांक 28.02.2019 के अनुसार विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुसार विभिन्न संकाय के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही पूर्णक करने के पश्चात् अतिथि शिक्षकों की चयन एवं प्रतीक्षा सूची जारी किया गया है जो संलग्न है।

निर्णय –

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –14

श्री नोवेल किण्डों, सहायक ग्रेड –2 को यात्रा सुविधा (LTC) प्रदाय करने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 88/सी –11389/वित्त/नियम/चार/2007 रायपुर दिनांक 19.04.2007 के अनुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

15 OCT 2019

(1) राज्य शासन के कर्मचारियों को यह सुविधा 04 वर्ष के खण्ड में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी स्थान पर जाने के लिए, गृहनगर जाने की सुविधा के बदले में दी जाए। अर्थात यदि वर्ष 2006–2009 के खण्ड में छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी स्थान पर जाने के लिए वर्ष 2006 या 2007 में यह सुविधा प्राप्त की जाती है। तो वर्ष 2006–2007 के 02 वर्ष के खण्ड में गृहनगर यात्रा की पात्रता नहीं होगी।

(2) उक्त सुविधा हेतु प्रथम 02 वर्ष का खण्ड वर्ष 2006–07 तथा चार वर्ष का खण्ड वर्ष 2006–09 होगा।

(3) अवकाश यात्रा सुविधा हेतु जाने एवं वापसी के प्रथम के समय 80 किलोमीटर तक के व्यय का वहन शासकीय सेवक द्वारा स्वयं करने संबंधी शर्त को समाप्त किया जाए।

(4) अवकाश यात्रा सुविधा हेतु रेल एवं सड़क मार्ग से यात्रा की श्रेणी की पात्रता वह होगी जो स्थानांतर पर यात्रा हेतु है।

(5) संदर्भित ज्ञापन में उल्लेखित अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

निर्णय –

श्री नोवेल किण्डों, सहायक ग्रेड –2 को यात्रा सुविधा (LTC) प्रदाय करने की सहमति प्रदान की गई है परन्तु चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन –2019 हेतु मतगणना समाप्ति पश्चात (24 अक्टूबर 2019 के उपरांत) ही लागू किया जावेगा

विषय क्रमांक –15

केन्द्रीय अध्ययन मंडल के द्वारा स्नातक स्तर के 31 विषयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन/ परिवर्तन किया गया है। उक्त पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2019–20 से लागू करने हेतु पत्र जारी किया गया है। प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक 2456/315/आउशि/सम/2019 दिनांक 16.05.2019 के द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के द्वारा स्नातक स्तर के 31 विषयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन/ परिवर्तन किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2019–20 से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के परिपालन में विश्वविद्यालय अध्ययन मण्डल के अध्यक्षों तथा संकाय अध्यक्षों की बैठक दिनांक 27/06/2019 को अपरान्ह 12.30 बजे बस्तर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आहूत की गई थी। जिसमें संशोधित सभी स्नातक वार्षिक विषयों के पाठ्यक्रम को क्रमशः 2019–20 (प्रथम वर्ष) 2020–21 (द्वितीय वर्ष) एवं 2021–22 (तृतीय वर्ष) से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णयानुसार संशोधित/परिवर्तित स्नातक स्तर भाग–एक के पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2019–20 से लागू करने हेतु विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र प्रेषित किया गया है।

15 OCT 2019

निर्णय –

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –16

बस्तर विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में संचालित नवीन पाठ्यक्रम/पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट उपलब्धता के आधार पर अनुमानित राशि रू. 20 लाख की पुस्तकें नियमानुसार क्रय करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट उपलब्धता के आधार पर अनुमानित राशि रू. 20 लाख की पुस्तकें नियमानुसार क्रय करने की सहमति प्रदान की गई है परन्तु चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन –2019 हेतु मतगणना समाप्ति पश्चात (24 अक्टूबर 2019 के उपरांत) ही लागू किया जावेगा

विषय क्रमांक –17

बस्तर विश्वविद्यालय संगणक अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 06.07.2019 के कार्यवाही विवरण अनुसार विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 19.04.2017 के प्रस्ताव क्रमांक –13 में पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के Revised Ordinance 107 - Bachelor of Computer Application (BCA) को अनुमोदन किया गया है। उक्त अनुमोदन पश्चात् पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 7039/अका./2018 रायपुर दिनांक 01.09.2018 तथा शैक्षणिक सत्र 2018–19 में सचांलित बी.सी.ए. पाठ्यक्रम को बस्तर विश्वविद्यालय में यथावत अंगीकृत करते हुए शैक्षणिक सत्र 2019–20 से बी.सी.ए. प्रथम वर्ष में लागू करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –18

विश्वविद्यालय स्थापना के समय क्रय किये गये टाटा इंडिका एवं टाटा इंडिगों का अपलेखन करने हेतु टेण्डर जारी किया गया था परन्तु उक्त वाहन क्रय करने हेतु एक भी टेण्डर विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय के कार्यालयीन कार्यों हेतु वाहन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वाहनों का आवश्यक मरम्मत स्थानीय सुधारकों से प्राक्कलन प्राप्त कर मरम्मत कराने में लगभग राशि रू. 2.00 लाख तक व्यय होने की सम्भावना है तत्संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

नियमानुसार मरम्मत कराने की सहमति प्रदान की गई है परन्तु चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन –2019 हेतु मतगणना समाप्ति पश्चात (24 अक्टूबर 2019 के उपरांत) ही लागू किया जावेगा।

15 OCT 2019

विषय क्रमांक –19

शैक्षणिक सत्र 2018–19 के मुख्य एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का गोपनीय मुद्रण भुगतान राशि रू. 95,31,241/– (पन्चान्बे लाख, एक्तीस हजार, दो सौ, एक्चालीस) संबंधित मुद्रक को किया गया है, उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –20

बस्तर विश्वविद्यालय से संबद्ध दूरस्थ महाविद्यालयों से आये छात्र–छात्राओं तथा विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत दूरस्थ क्षेत्रों से आये छात्र–छात्राओं को भोजन, नास्ता, चाय आदि के लिए विश्वविद्यालय परिसर से बाहर जाना पड़ता है। उक्त असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में केन्टीन भवन निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है। उक्त निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग जगदलपुर से नक्शा, प्राक्कलन प्राप्त कर परीक्षा मद से निर्माण कार्य कराये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई है परन्तु चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन –2019 हेतु मतगणना समाप्ति पश्चात (24 अक्टूबर 2019 के उपरांत) ही लागू किया जावेगा

विषय क्रमांक –21

एच.डी.एफ.सी. बैंक, जगदलपुर द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में एक ए.टी.एम. स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। उक्त प्रस्ताव से एजुकेशन हब के अन्तर्गत संचालित इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, पी.जी. महाविद्यालय, क्रीडा परिसर एवं अन्य छात्र–छात्राओं तथा अधिकारी, कर्मचारी इसका लाभ ले सकते है। अतः ए.टी.एम. स्थापित करने हेतु भवन निर्माण लोक निर्माण विभाग से प्राक्कलन प्राप्त कर परीक्षा मद से कराये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई है परन्तु चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन –2019 हेतु मतगणना समाप्ति पश्चात (24 अक्टूबर 2019 के उपरांत) ही लागू किया जावेगा

1 5 OCT 2019

विषय क्रमांक --22

विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षा रोपण का कार्य कराया जाना है जिसकी सुरक्षा हेतु पूर्व में लगाये गये केटल केचर कारगर साबित नहीं हुआ है जिसके चलते पशु विश्वविद्यालय परिसर में घुमते रहते हैं। अतः उसमें स्थानीय फैब्रीकेशन से भावपत्र आमंत्रित कर मरम्मत कराये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई है परन्तु चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन –2019 हेतु मतगणना समाप्ति पश्चात (24 अक्टूबर 2019 के उपरांत) ही लागू किया जावेगा

विषय क्रमांक –23

विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता हेतु गठित निरीक्षण समिति के सदस्यों को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अनुसार सीटिंग फीस राशि रू. 1500/– प्रदाय करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई है परन्तु चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन –2019 हेतु मतगणना समाप्ति पश्चात (24 अक्टूबर 2019 के उपरांत) ही लागू किया जावेगा

विषय क्रमांक –24

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन एवं आवासीय (अधिकारी एवं कर्मचारी) भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग बनाये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई है परन्तु चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन --2019 हेतु मतगणना समाप्ति पश्चात (24 अक्टूबर 2019 के उपरांत) ही लागू किया जावेगा

विषय क्रमांक –25

नैक मूल्यांकन कराये जाने हेतु बस्तर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन एवं अकादमिक भवन में रेम्प निर्माण कराया जाना है। उक्त निर्माण कार्य नियमानुसार कराये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई है परन्तु चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन –2019 हेतु मतगणना समाप्ति पश्चात (24 अक्टूबर 2019 के उपरांत) ही लागू किया जावेगा

15 OCT 2019

विषय क्रमांक –26

बस्तर विश्वविद्यालय के सेटअप में संचालक शारीरिक शिक्षा का पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु स्वीकृत है। उक्त पद की पूर्ति करने हेतु शासन से लगातार पत्राचार किया गया है परन्तु उक्त पद की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण रिक्त है। विश्वविद्यालयीन खेलकूद गतिविधियों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर में पदस्थ श्री सी.पी.ठाकुर, क्रीड़ा अधिकारी, को ओ.एस.डी. संचालक शारीरिक शिक्षा, बस्तर विश्वविद्यालय का संचालन अपने स्वदायित्वों के साथ करने के लिए अंशकालीन के रूप में नियुक्त किया गया है। जिसे वर्तमान में राशि रू. 2000/– मानदेय दिया जा रहा है।

बस्तर विश्वविद्यालय के खेलकूद गतिविधियों के व्यवस्थित संचालन एवं नियम निर्माण व्यवस्था हेतु क्रीड़ा अधिकारी/प्रभारी एवं प्राचार्यों की आवश्यक बैठक दिनांक 16.07.2019 को आयाजित की गई। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के विषय क्रमांक –24 (अ) में संचालक शारीरिक शिक्षा विभाग का मानदेय जुलाई 2019 से राशि रू. 2,000/– से बढ़ाकर 6,000/– दिये जाने की अनुशंसा की गई है। अतः उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई है परन्तु चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन –2019 हेतु मतगणना समाप्ति पश्चात (24 अक्टूबर 2019 के उपरांत) ही लागू किया जावेगा

विषय क्रमांक –27

बस्तर विश्वविद्यालय के खेलकूद गतिविधियों के व्यवस्थित संचालन एवं नियम निर्माण व्यवस्था हेतु क्रीड़ा अधिकारी/प्रभारी एवं प्राचार्यों की आवश्यक बैठक दिनांक 16.07.2019 को आयाजित की गई। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के विषय क्रमांक –24 (ब) में विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न खेल विधाओं के मैदान निर्माण हेतु विशेषज्ञों को राशि रू. 2000/– मानदेय एवं मजदूरों को कलेटक्र दर से भुगतान करने की अनुशंसा की गई है। अतः उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई है परन्तु चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन –2019 हेतु मतगणना समाप्ति पश्चात (24 अक्टूबर 2019 के उपरांत) ही लागू किया जावेगा

15 OCT 2019

विषय क्रमांक –28

बस्तर विश्वविद्यालय के खेलकूद गतिविधियों के व्यवस्थित संचालन एवं नियम निर्माण व्यवस्था हेतु क्रीड़ा अधिकारी/प्रभारी एवं प्राचार्यों की आवश्यक बैठक दिनांक 16.07.2019 को आयाजित की गई। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के विषय क्रमांक –2 में प्रतियोगिता दिवस में टीम मैनेजर टीम कोचो को स्पेशल एलाउंस राशि रू. 2500/– सत्र 2018–19 से दिये जाने की अनुशंसा की गई है। अतः उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई है परन्तु चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन –2019 हेतु मतगणना समाप्ति पश्चात (24 अक्टूबर 2019 के उपरांत) ही लागू किया जावेगा

विषय क्रमांक –29

अन्य कोई पूरक विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

विषय क्रमांक –1

बस्तर विश्वविद्यालय के कार्यालयीन, शैक्षणिक एवं गोद ग्राम हेतु कुल 59 नग आलमारी क्रय किया जाना है। इस हेतु केन्द्रीय जेल, जगदलपुर को दर आमंत्रित किया गया। जेल से प्राप्त आलमारी Size- 78"x33"19" प्रति नग का मूल्य 10,295/– (दस हजार, दो सौ, पंचानबे) मात्र है। इस प्रकार 59 नग स्टील आलमारी की कुल लागत रू. 6,07,405/– (छः लाख, सात हजार, चार सौ पांच) मात्र है। केन्द्रीय जेल जगदलपुर को क्रयादेश दिया गया है। आलमारी का लाने का भाड़ा रू 900/– (नौ सौ) मात्र प्रत्येक बार देय होगा। इस हेतु कार्यपरिषद से क्रयोत्तर स्वीकृति एवं सामग्री की पूर्ण एवं संतोषजनक प्राप्ति के उपरांत देयक भुगतान हेतु विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –2

परीक्षा/गोपनीय विभाग बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर से 07 लाख मुख्य उत्तरपुस्तिकाओं एवं 03 लाख पूरक उत्तरपुस्तिका चाही गई है। इस हेतु कागज की गुणवत्ता एवं दर के लिए छ.ग. संवाद, रायपुर को विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/5378/भण्डार/ब.वि.वि./2019, जगदलपुर, दिनांक 15.07.2019 प्रेषित किया गया था। जिसके तारतम्य में छ.ग. संवाद, रायपुर के द्वारा दर की जानकारी पत्र क्रमांक 1415/छ.ग.सं./प्रकाशन अटल नगर, दिनांक 25.07.2019 द्वारा विश्वविद्यालय में आवक पत्र क्रमांक 1405, दिनांक 08.08.2019 के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

15 OCT 2019

छ.ग. संवाद रायपुर से निम्नलिखित दर प्रेषित किया गया है :—

क्र.	उत्तर पुस्तिका का विवरण	मुद्रण संख्या	दर प्रति उत्तर पुस्तिका	कुल लागत
1	मुख्य उत्तर पुस्तिका Size - 5.5"x8.5" 24 पेज 80 जीएसएम, मैपलिथो पेपर, दोनो तरफ एक कलर मुद्रण नंबरिंग एवं परफोरेटेड पंचिंग सहित	7 लाख प्रति	5.137 प्रति नग	3595900
2	पूरक उत्तर पुस्तिका Size - 5.5"x8.5" 24 पेज 80 जीएसएम, मैपलिथो पेपर, दोनो तरफ एक कलर मुद्रण नंबरिंग एवं परफोरेटेड पंचिंग सहित	3 लाख प्रति	1.63 प्रति नग	489000
			कुल राशि	**4084900**
			18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि	**735282**
			कुल राशि	**4820182**

मुद्रण संख्या एवं पृष्ठ संख्या में परिवर्तन होने पर दर परिवर्तनीय होगा। परीक्षा विभाग के मांग संख्या के अनुसार मुद्रण कराने पर कुल राशि लगभग रू. 48,20,182/— (अड़तालीस लाख, बीस हजार, एक सौ बयासी) व्यय होने की सम्भावना है। यदि माननीय कार्यपरिषद की अनुमति हो तो छ.ग. संवाद, रायपुर को मुद्रणादेश दिया जा सकता है। इस तारतम्य में प्राप्त सामग्री एवं तद्नुसार प्राप्त देयक का भुगतान किया जा सकता है। उचित निर्णय हेतु विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :—

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक —3

सत्र 2018—19 के लिए विश्वविद्यालय के रद्दी कागजात विक्रय हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निविदा जारी किया गया था। जिसमें क्रय समिति के अनुशंसा के अनुरूप छत्तीसगढ़ इंटरप्राईजेस, दुर्ग को निम्नानुसार रद्दी कागजात विक्रय हेतु अनुबंध सह विक्रयादेश दिया जाना है :—

विवरण	अनुशंसित दर (प्रति किलो)
अनुपयोगी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका	21=51
पुराने अनुपयोगी परीक्षा आवेदन पत्र	17=00
पुराने अनुपयोगी समाचार पत्र — पत्रिकाऐं एवं प्रश्न पत्र	13=00
पुराने अनुपयोगी लिफाफे (खुले/बंद लिफाफे) कागज	5=00
पुराने अनुपयोगी अन्य रद्दी कागज, कतरन, मलाट	3=00

अनुमति हेतु विषय प्रस्तुत है।

15 OCT 2019

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –4

विश्वविद्यालय के द्वारा उपाधि मुद्रण, पुराने वाहन विक्रय, खेल सामग्री क्रय, दीक्षांत समारोह हेतु वेशभूषा निर्माण, गोल्ड मेडल निर्माण, मुद्रण कार्य, केटरिंग व्यवस्था, टेंट, डोम, साउंड सिस्टम, लाईटिंग कार्य, किराया भण्डार सामग्री का निविदा विज्ञापन क्रमांक 4194 / विकास / नि.सू. / 2019 जगदलपुर, दिनांक 26.02.2019 एवं निविदा समय वृद्धि सूचना क्रमांक / 4497 / विकास / नि.सू. / 2019, जगदलपुर दिनांक 28.03.2019 द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपवाया गया है। जिसमें पुराने वाहन विक्रय, दीक्षांत समारोह हेतु वेषभूषा निर्माण, मुद्रण कार्य, केटरिंग व्यवस्था, टेंट डोम, साउंड सिस्टम, लाईटिंग कार्य, किराया भण्डार सामग्री का पर्याप्त निविदा प्राप्त नहीं हुआ है, अतः 15 दिवस का समय देते हुए पुनः निविदा विज्ञापन प्रकाशित करवाया जाना है। शेष अन्य पर्याप्त प्राप्त निविदायें खोले गये हैं तथा क्रय समिति के अनुशंसा के अनुरूप अग्र कार्यवाही की जा रही है। माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति के प्रत्याशा में उक्त निविदा संबंधी अग्र कार्यवाही किया जावेगा।

माननीय कार्यपरिषद के सूचनार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई एवं कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक –5

परीक्षा / गोपनीय विभाग के द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय के सत्र 2019–20 हेतु Pre and Post Examination Processing Work (Online Based) का निविदा विज्ञापन क्रमांक 5168 / परीक्षा–गोपनीय / भण्डार / ब.वि.वि. / 2019, दिनांक 26.06.2019 छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली एडिशन) एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं नवभारत (रायपुर संस्करण) में मुद्रण करवाया गया था। इस हेतु छ.ग. संवाद को पत्र क्रमांक / 5166 / गोप. विज्ञा. / भण्डार / ब.वि.वि. / 2019, जगदलपुर, दिनांक 26.06.2019 प्रेषित किया गया। निविदा विज्ञान के अनुसार निविदा प्राप्ति का अंतिम दिनांक 30.07.2019 को दोपहर 3.00 बजे निर्धारित किया गया था। प्राप्त निविदाओं में Mics Amarnath Colony] Kolar Road. Bhopal का दर अन्य फर्मों की तुलना में न्यूनतम होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्य के लिए फर्म से अनुबंध करते हुए कार्यादेश दिया गया है।

कार्योत्तर स्वीकृति हेतु सूचनार्थ।

निर्णय –

सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।

15 OCT 2019

विषय क्रमांक –6

विषय क्रमांक 16 में ग्रंथालय हेतु पुस्तक क्रय करने के लिए राशि रू. 20.00 लाख का प्रस्ताव एजेण्डा जारी होने के पूर्व रखा गया था परन्तु वर्तमान में अन्य विभागों से प्राप्त मांग एवं नवीन पाठ्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए राशि रू. 20.00 लाख के स्थान पर राशि रू. 50.00 लाख करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत। चूंकि कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में ग्रंथालय के द्वारा लगभग 50.00 लाख (पचास लाख) मात्र के पुस्तक क्रय करने का राष्ट्रीय स्तर के 02 एवं राज्य स्तर के 02 समाचार पत्रों में छ.ग. संवाद, रायपुर के माध्यम से दिनांक 06.09.2019 तक निविदा आमंत्रित किये गये हैं। उक्ताशय की स्वीकृति हेतु विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट उपलब्धता के आधार पर अनुमानित राशि रू. 50 लाख की पुस्तकें नियमानुसार क्रय करने की सहमति प्रदान की गई है परन्तु चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन –2019 हेतु मतगणना समाप्ति पश्चात (24 अक्टूबर 2019 के उपरांत) ही लागू किया जावेगा

विषय क्रमांक –7

बस्तर विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह की तिथि निर्धारण एवं मुख्य अतिथि बनाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

बस्तर विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह दिनांक 27.12.2019 से 31.12.2019 के बीच कराये जाने की सूचना ग्रहण की गई तथा दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अहमदाबाद के पद्म श्री प्रो. अनिल कुमार गुप्ता के द्वारा मुख्य अतिथि बनने की सहमति दी गई है। उक्त सूचना कार्यपरिषद द्वारा ग्रहण की गई ।

कुलपति	कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)
15 OCT 2019	15 OCT 2019